न्यायालय श्रीमान् पीठासीन न्यायाधीश राजस्व मण्डल ग्वालियर के॰ कोर्ट रीवा (म0प्र0)

श्रीवेन्द्र प्रसाद तनय स्व0 श्री काशी प्रसाद उम्र– 40 वर्ष निवासी ग्राम–बड़ागांव, तह0 गुढ जिला– रीवा (म0प्र0)

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती सावित्री पत्नी स्व0 श्री इन्द्रदत्त
2. राजेन्द्र कुमार तनय स्व0 श्री इन्द्रदत्त
3. राजकुमार तनय स्व0 श्री इन्द्रदत्त
4. यदुबर प्रसाद तनय स्व0 श्री काशी प्रसाद

सभी निवासी ग्राम–बड़ागांव , तह0 गुढ़ जिला– रीवा (म0प्र0)

.....रेस्पाडेन्टगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार, तह0 गुढ, जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा **प्र0कमांक–80/अ–6/2011–12** में पारित आदेश **दिनांक 27.06.2013**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि गैर निगरानीकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बावत् कराये जाने नामांतरण ग्राम–बड़ागांव स्थित आराजी नं. 2068/1 रकवा 0.142 हे0, 2069/1 रकवा 0.611 हे0, 2071 रकवा 0.219 हे0 किता 3 कुल रकवा 0.972 हे0 का म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109/110 के तहत प्रस्तुत किया था जिसमें काशी प्रसाद पिता रामपती राम को अनावेदक कमांक 1 के रूप में प्रकरण में पक्षकार बनाया गया था। जबकि उस समय काशी प्रसाद मृत हो चुके थे और इस प्रकार मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाकर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जो प्रचलनशील ही नहीं था।

3– यह कि निगरानीकर्ता/अनावेदक कमांक 2 द्वारा एक आपत्ति पत्र बावत् प्रचलनशील न होने से आवेदन–पत्र प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की गई थी जिसमें

(149)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

[redacted] क्रमांक निग0/4168–III/2013 जिला–रीवा

श्रीवेद प्रसाद मिश्रा/श्रीमती सावित्री

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यदेव दुबे उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गुढ के प्रकरण क्रमांक 08/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 05.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	